अनुस्मारक/अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या-38/2018/1882/60-3-2018-13(सा0)/17टीसी

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, अलीगढ़, एटा, बागपत, गौतमबुद्वनगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, झाँसी, मुजफ्फरनगर, महामायानगर, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, जालौन, बिजनौर, मैनपुरी, हमीरपुर, सहारनपुर, फर्रूखाबाद, महोबा, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर देहात, कन्नौज, हरदोई, बलिया, मिर्जापुर, बांदा, संतरविदास नगर (भदोही), शाहजहांपुर, ज्योतिबाफूले नगर, बरेली, गाजीपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, लखनऊ, मुरादाबाद, ललितपुर, प्रतापगढ, जौनपुर, आजमगढ़, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, देवरिया, गोण्डा, मऊ, रायबरेली, कुशीनगर, बस्ती, सीतापुर, महराजगंज, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं सिद्वार्थनगर।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2018

विषय-प्रदेश के 'महिला शक्ति केन्द्र' योजना के अन्तर्गत कार्मिकों के चयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1610/60-3-2018-13(सा)/17टीसी, दिनांक 07.09.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महिला शक्ति केन्द्र योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के गठन, ब्लाक स्तरीय समितियां के गठन व स्टूडेन्ट वालेन्टियर के चयन तथा निर्दिष्ट जनपदों में डी0एल0सी0डब्लू0 हेतु कार्मिकों के चयन की कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। अधिकांश जनपदों में टास्क फोर्स का गठन व कार्मिकों के चयन के लिये अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में पृच्छा की जा रही है, जिसकी राज्य स्तर पर निरन्तर उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है।

2. योजना के क्रियान्वयन के लिये निर्दिष्ट बिन्दुओं पर कार्यवाही शीघ्र समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जानी है। पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत महिला शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु जनपदों में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन सितम्बर माह में ही करके कार्मिकों के चयन की कार्यवाही अपेक्षित थी।

3. इस संबंध में जनपद स्तर की अद्यतन प्रगति की प्रस्थिति संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करते हुये डी0एल0सी0डब्लू0 हेतु कार्मिकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का चयन, ब्लॉक स्तरीय समितियां का गठन व स्टूडेन्ट वालेन्टियर के चयन आदि की वांछित कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1882 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त संबंधित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संबधित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।